न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 01/2013

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 चालकदान पुत्र समेलदान जाति चारण निवासी सांता तहसील चोहटन जिला बाडमेर		1 जुसुब पुत्र ईस्माइल जाति मुसलमान सिंधी (समुरा) निवासी आकोडिया तहसील सांचोर के का0मु0 1.1. रोमत बेचा जुसुब 1.2. अब्दुल्ला पुत्र ईस्माइल जाति मुसलमान सिंधी (समुरा) निवासी आकोडिया 1.3. जन्नत पुत्री ईस्माइल जाति मुसलमान सिंधी (समुरा) निवासी हाजी की वांड तहसील सांचोर 1.4. चांगी पुत्री जुसुब 1.5. सोनी पुत्री ईस्माइल जाति मुसलमान सिंधी (समुरा) निवासी आकोडिया 2 आमद पुत्र ईस्माइल 3 मोहम्मद अली पुत्र ईस्माइल 4 तालाब पुत्र ईस्माइल जायियान मुसलमान सिंधी (सुमरा) निवासी आकोडिया तहसील सांचोर 5 तहसीलदार सांचोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री निखिल कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सिकन्दर अली, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांक : 11.12.2017

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 82/2007 चालकदान बनाम जुसुब वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2012 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा अपनी खरीदसुदा आराजी मौजा आकोडिया के खसरा नमबर 32 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा भूमि का खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। उक्त भूमि अपीलाण्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय किया गया है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद

नही करवाया गया। इस दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पूर्वज ईस्माइल फौत हो चुका तथा उसके पश्चात राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का नाम दर्ज न होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 का नाम दर्ज हो गया। इस कारण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर उक्त भूमि के खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त बेचाननामा को गलत एवं फर्जी बताया तथा काउण्टर क्लेम पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीयात विनिश्चित करते हुए वादी/अपीलाण्ट का वाद खारिज कर दिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अपीलाण्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नही करने हेतु पाबन्द किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने कब्जे के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नही किया, अब इस न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते है। उक्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कोई कारण भी अंकित नही किया। इस कारण उक्त दस्तावेज रेकर्ड पर नही लिया जा सकता है। चूंकि उक्त दस्तावेज दावे के समय रेकर्ड पर नही थे तथा अपील प्रस्तुत होने के बाद create हुए है, इस कारण इनकी विश्वसनीयता पर संदेह है। लिहाजा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी के तहत खारिज किया जावे तथा उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त प्रावधानों को दरकिनार करते हुए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को अनदेखा करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। लिहाजा अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बेचान दस्तावेज के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का दावा किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में प्रस्तुत दस्तावेजों का विवेचन करते हुए तनकीयात विनिश्चित करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा खसरा गिरदावरी की नकले प्रस्तुत की है, जो सरकारी दस्तावेज है, जिसमें किसी प्रकार का संदेह किया जाना न्यायोचित नही है। अतः रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के तहत स्वीकार करावें एवं अपील खारिज करावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पूर्णतः विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम आकोडिया के खसरा नम्बर 61 रकबा 3.48 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट/वादी द्वारा दिनांक 16.06.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के ईस्माइल पुत्र इब्राहिम कौम सिंधी मुसलमान से क्रय की थी। जिसके प्रतिफल की राशि भी विक्रेता को अदा की जा चुकी थी। इसके पश्चात वादी/अपीलाण्ट द्वारा उक्त विक्रय विलेख की प्रति पटवारी हल्का को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु प्रदान की गई, जिस पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण दायर करने का आश्वासन दिया, किन्तु नामान्तरकरण दायर नही किया, इस बात की जानकारी वादी/अपीलाण्ट को प्राप्त होने पर अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रेकर्ड की प्रतियां प्राप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की, जिस पर भूमि रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज होना पाया गया। इस परन वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा खरीदसुदा भूमि की खातेदारी घोषित कराने एवं प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। अपीलाण्ट/वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर दस्तावेजी साक्ष्य मिलान क्षैत्रफल, जमाबन्दी सम्वत् 2031–2042, जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 तथा बेचान दस्तावेज दिनांक 16.06.1976 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की, जो प्रदर्शित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा मय काउण्टर दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने काउण्टर दावे को साबित करने हेतु किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का अवलोकन करने पर भी यह प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउण्टर क्लेम के जरिये प्रतिवादीगण के हक में घोषणा का अनुतोष चाहा, किन्तु घोषणा किस सम्बन्ध में की जानी है, इस्तदुआ क्या है ? अनुतोष क्या चाहा गया है ? अंकित ही नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में 7 तनकीयात कायम की गई। जिसमें से तनकी संख्या 1 से 3 वादी द्वारा तथा तनकी संख्या 4 से 7 प्रतिवादी द्वारा साबित की जानी थी। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 से प्रदर्श 6 प्रस्तुत किये एवं मुख्य परीक्षण में स्वयं वादी चालकदान, अम्बादान, मगा तथा कालूदान परीक्षित हुए। इनमें से मगा पुत्र मनजी एवं कालूदान पुत्र राजदान वादी/अपीलाण्ट के खेत के पडौसी है, जिन्होने उक्त क्रयसुदा आराजी पर क्रेता का कब्जा होना स्वीकार किया। प्रतिवादी की ओर से मुख्य परीक्षण में आमद पुत्र ईस्माइल खां तथा साले मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद परीक्षित हुए। वादी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत गवाहों एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत गवाहों द्वारा वादस्थ भूमि के जो पडौस अपने बयानात् में दर्शाये है, उनमें विरोधाभाष है। अपीलाण्ट द्वारा वादस्थ भूमि के जो पडौस दर्शाये है, वे पडौस रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 16.06.1976 में अंकित पड़ौस से मिलान करते है, जबकि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने बयानात् में जो पडौस अंकित किये है, वे मिलान नहीं करते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस प्रकार से तनकीयात का विनिश्चय किया गया है, उसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे पक्षकारान द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजात् एवं मौखिक साक्ष्य को परस्पर compare करके दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात का विनिश्चय करते, न कि कयासों के आधार पर। अपीलाण्ट के पास पुख्ता प्रमाण था कि उसके द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा क्रय की गई है तथा बेचान दस्तावेज में जो भूमि के पडौस अंकित है, उन्ही पडौस की ताईद मुख्य परीक्षण में परिक्षित गवाहों द्वारा की गई है, जबकि रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण द्वारा न तो अपने कथनों को किसी दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित करवाया तथा न ही मुख्य परीक्षण में परीक्षित गवाहों द्वारा वादस्थ भूमि की सही पहचान की। इन समस्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी रूप में विवेचित नही किया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को किसी भी रूप में न्यायोचित नही माना जा सकता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 82/2007 चालकदान बनाम जुसुब वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2012को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर